रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96

REGISTERED NO. D. L.-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 1996/भाद्र 30, 1918

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1996/BHADRA 30, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1996

सा. का. नि. 391:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग (ग्रुप सी और ग्रुप डी पद) भर्ती नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग (ग्रुप सी और ग्रुप डी पद) भर्ती नियम, 1983 की अनुसूची में, रोनियो आपरेटर और दफ्तरी के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 8 और 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
"8. रौनियो आपरेटर	2* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित	775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)।	नहीं

12	13	14
(ii) Two years professional experience. The Departmental Officers in the feeder Category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation, including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

[No. 9-22/93-My(Admn.)]
R.P. AGGARWAL, Under Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II Section3 Sub-Section (i) vide G.S.R No. 192 dated 31st Morch, 1990.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 396.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा (संशोधन) नियम, 1996 है।

2. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 की अनुसूची-3 के अन्त में निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

टिप्पण : "इस अनुसूची में विहित आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।"

[सं. 12025/2/95-बी(ए)]
विजय शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) तारीख 5-11-1990 में सा.का.नि. सं. 892(अ) तारीख 5-11-1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1. अधिसूचना संख्या 12019/1/93-बी(ए), दिनांक 7-4-1994

2. अधिसूचना संख्या 32019/1/93-बी(ए)/संख्या 12019/1/92 दिनांक 23-8-1996

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 30th August, 1996

G.S.R. 396.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcaiting (Programme) Service Rules, 1990, namely:—

1. These rules may be called the Indian Broadcasting (Programme) Service (Amendment) Rules, 1996.

2. In the Indian Broadcasting (Programme) Rules, 1990, in Schedule III the following Note shall be inserted at the end namely :—

NOTE :—"The age-limit prescribed in this Schedule shall be relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government".

[No. 12025/2/95-B(A)]

VIJAY SHARMA, Under Secy.

Foot note.—The principal Recruitment rules were published vide No. G.S.R. 892(E) dated 5th November, 1990 in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3(i) dated 5th November, 1990.

1. Notification No. 12019/1/93-B(A) dated 7-4-1996.

2. Notification No. 12019/1/93-B(A)/No. 12019/1/92 dated 23-8-1996.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 297.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है- या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	1* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	7300-100-7600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता